

होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा)
सोसायटी

के

स्टाफ विनियम

Staff Regulations

of

**Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied
Nutrition (Goa) Society**

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अनुवादित
Translated by Central Translation Bureau, New Delhi

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY,
& APPLIED NUTRITION (GOA) SOCIETY
P.O. ALTO PORVORIM
BARDEZ – GOA.

STAFF REGULATIONS

In pursuance of the relevant provision of the Memorandum of Association and Rules of the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Goa) Society, the Board of Governors hereby makes the following regulations, namely :

CHAPTER – I

I SHORT TITLE COMMENCEMENT AND APPLICATION :

- (i) These regulations may be called the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Goa) Society's (Staff) Regulations P.O. Alto Porvorim, Bardez – Goa.
- (ii) They shall come into force at once and shall replace any other staff rules/regulations that may have been in force.
- (iii) They shall apply to all the employees of the Society. In respect of the persons employed by the Society on Agreement/contract, the rules shall be those as may be specifically provided in the Contract or Agreement as the case may be. In respect of the persons appointed on deputation from the Central or State Government, all matters relating to such employees shall be governed by the terms of deputation and if on any specific matter there is no provision about the same in terms of deputation, reference should be made to the parent Government or Department as the case may be.

2. DEFINITIONS:

In these regulations, unless the context otherwise requires :

- (a) "Appendix" means an Appendix to these regulations ;
- (b) "Appointing Authority" means the authority prescribed in Regulation 5;
- (c) "Board of Governors" means the Board of Governors of the Society;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board of Governors;
- (e) "Secretary" means the Secretary of the Society;
- (f) "Society" means the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Goa) Society;
- (g) "Employee" means a person who is in the whole time service of the Society but does not include a person employed by the Society on daily wages;
- (h) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Society.
- (i) "Institute" means the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Goa).
- (j) "Principal" means the Principal of Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Goa)

होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा) सोसाइटी

डा०घ० आलतो पोर्वोरिम

बार्देज-गोवा

स्टाफ विनियम

होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा) सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा नियमावली के संगत उपबंध के अनुसरण में शासी बोर्ड ने एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, अर्थात :

अध्याय – I

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना :

- (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान(गोवा) सोसाइटी – (स्टाफ) विनियम, डा०घ० आलतो पोर्वोरिम, बार्देज – गोवा है।
- (ii) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे तथा स्टाफ संबंधी किसी अन्य नियमावली / विनियमावली के स्थान पर प्रतिस्थापित होंगे जो उस समय प्रवृत्त हो।
- (iii) ये सोसाइटी के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। उन व्यक्तियों के संबंध में, जो करार/संविदा पर सोसाइटी द्वारा नियोजित हों, व नियम होंगे जो, यथास्थिति संविदा या करार में विशिष्ट रूप से उपबंधित किए गए हों। केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उक्त कर्मचारियों से संबन्धित सभी मामले प्रतिनियुक्ति की शर्तों द्वारा विनियमित होंगे तथा यदि किसी विशिष्ट मामले में प्रतिनियुक्ति के संबंध में इसके बारे में कोई उपबंध न हो तो यथास्थिति मूल सरकार या विभाग का उल्लेख किया जाए।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) “परिशिष्ट” से आशय इन विनियमों के परिशिष्ट से है।
- (ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” से आशय विनियम 5 में विहित प्राधिकारी से है;
- (ग) “शासी बोर्ड” से आशय सोसाइटी के शासी बोर्ड से है;
- (घ) “अध्यक्ष” से आशय शासी बोर्ड के अध्यक्ष से है;
- (ङ) “सचिव” से आशय सोसाइटी के सचिव से हैं;
- (च) “सोसाइटी” से आशय होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा) की सोसाइटी से है;
- (छ) “कर्मचारी” से आशय उस व्यक्ति से है जो सोसाइटी की पूर्णकालिक सेवा में हो लेकिन इसके अंतर्गत दैनिक मजदूरी पर सोसाइटी द्वारा नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं है;
- (ज) “कार्यकारिणी” से आशय सोसाइटी की कार्यकारिणी से है।
- (झ) “संस्थान” से आशय “होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा) से है
- (ञ) “प्रधान” से आशय होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा) के प्रधान से है।

3. CLASSIFICATION OF POSTS :

The classification of the posts in the Society and the scales of pay attached thereto shall be as set out in Appendix II and shall be subject to such orders as may be issued by the Society from time to time in conformity with the orders/instructions issued by the Central Government from time to time.

CHAPTER – II

4. STRENGTH OF STAFF

The Board of Governors shall from time to time determine with the approval of the Central Government the strength of the staff both permanent and temporary under the various categories required for carrying out its functions subject to the norms, orders/guidelines prescribed by the Central Government from time to time.

5. APPOINTMENTS

i) Appointments (form Appendix III) to posts in Group ' C ' and 'D' shall be made by the Principal and appointments to posts in Groups 'A' and 'B' shall be made by the Board of Governors and by the Executive Committee respectively or by a duly constituted Sub-Committee authorized by the Board to hold such selections provided that the appointment of the Principal shall be made in accordance with the provisions of Rule 24(i) of the Rules & Regulations of the Society.

ii) Qualifications for appointments :-

The qualifications for appointment to the posts in various cadres in the Institute shall be such as may be determined by the Principal/Executive Committee/ Board of Governors from time to time in accordance with any orders/instructions issued by the Central Government in this regard.

(iii) Methods of Recruitment :

Recruitment to the posts may be made :

- (a) by direct recruitment;
- (b) by promotion; and
- (c) by appoint of employees borrowed from Government Departments and other Institutes.
- (d) on contract

Note : Appointments to a post in any grade by promotion shall be made whether in a permanent or officiating capacity from amongst employees serving in posts in the next lower grade.

(iv) Adhoc appointment :

Notwithstanding anything contained in the above rules the Board of Governors/ Executive Committee may by a general or special order and subject to such conditions as it may specify in such order delegate to any authority the power to make adhoc appointments.

(v) Superannuation :

3. पदों का वर्गिकरण

सोसाइटी में पदों का वर्गिकरण तथा इनसे संबंध वेतनमान परिशिष्ट-II में निर्दिष्ट अनुसार होंगे तथा उन आदेशों के तहत होंगे जो समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुरूप समय समय पर सोसाइटी द्वारा जारी किए जाएँ।

अध्याय – II

4. स्टाफ की संख्या

शासी बोर्ड समय समय पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा विहित मानकों, आदेशों/दिशा निर्देशों के तहत अपने कार्य निष्पादित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के स्टाफ की संख्या निर्धारित करेगा।

5. (i) नियुक्तियाँ

ग्रुप "ग" तथा "घ" के अंतर्गत पदों पर नियुक्तियाँ (फॉर्म परिशिष्ट III) प्रधान द्वारा की जाएगी तथा ग्रुप 'क' तथा 'ख' के अंतर्गत पदों पर नियुक्तियाँ क्रमशः शासी बोर्ड और कार्यकारिणी द्वारा या उक्त चयन करने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत सम्यक से गठित उप-समिति द्वारा की जाएगी बशर्ते प्रधान की नियुक्ति सोसाइटी की नियमावली तथा विनियमावली के नियम 24(i) के उपबंधों के अनुसार की जाए।

(ii) नियुक्तियों के लिए अर्हताएँ

संस्थान में विभिन्न केडरों में पदों पर नियुक्ति के लिए अर्हताएँ उस प्रकार होंगी जैसे कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/अनुदेश के अनुसार समय-समय पर प्रधान/कार्यकारिणी/शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित कि जाएँ।

(iii) भर्ती कि विधियाँ

पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:

(क) सीधी भर्ती द्वारा

(ख) पदोन्नति द्वारा; तथा

(ग) सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थानों से मांगे गए कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा

(घ) संविदा पर

टिप्पणी: पदोन्नति द्वारा किसी भी ग्रेड में पद पर नियुक्ति अगले निचले ग्रेड में पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से या तो स्थायी रूप से या स्थानापन्न हैसियत से की जाएगी।

(iv) तदर्थ नियुक्ति

उपर्युक्त नियमावली में दी गई किसी बात के होते हुए भी शासी बोर्ड/कार्यकारिणी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तथा उन शर्तों के तहत, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, किसी भी अधिकारी को तदर्थ नियुक्तियाँ करने की शक्ति प्रत्यायोजित करेगा।

(v) अधिवर्षिता :

- (a) All employees of the Institute except Grade 'D' employees shall retire on attaining the age of 58 years provided that the Board of Governors may if satisfied that the interest of the Society so requires and in consideration of the outstanding nature of work done by an employee, extend by an order in writing, with the prior approval of the Central Government, the period of service of any employee beyond the age of superannuation on the existing terms and conditions or on re-employment or on contract service for any period not exceeding two years in aggregate, subject to any instructions/orders issued by the Central Government in such matters. Grade 'D' employees shall retire on attaining the age of 60 years.
- (b) Notwithstanding anything contained in Regulation (a) an employee shall on invalidation by the appropriate medical authority, cease to be in service on account of complete and permanent incapacitation determined in accordance with the relevant rules applicable to comparable categories of Central Government employees from time to time.
- (vi) Probation :
- (1) Every employee shall, on appointment to any post (whether on promotion or otherwise) be on probation for a period of one year commencing from the date of regular appointment ;
- (2) Nothing in this regulation shall apply to the persons employed on deputation from Central/ State Governments or an Institute.
- (vii) Medical fitness :-
- Every person appointed for the first time to any post in the Institute shall, before joining duty in the post, be required to furnish a medical certificate of fitness in the form prescribed in Appendix – I from a competent medical authority or from an authority as may be prescribed by the Institute. No such certificate need be furnished if ;
- (a) an employee has come on deputation ;
- (b) an employee is re-employed, provided break in the two appointments is less than __ months;
- (c) an employee has already been medically found fit. Medical certificate of fitness will have to be obtained by the employee concerned at his own cost. However, on production of valid receipt, the amount of fee may be reimbursed to him.
- (viii) Termination of services :
- (a) (i) No employee other than a person on deputation from the Central Government or any State Government or an Institute shall leave or discontinue his service in the Institute except after giving one month's notice in writing of his intention to do so to the Principal.
- (ii) Provided further that where an employee has completed the period of promotion and stands confirmed, the period of such notice shall be three months.
- (iii) However, if an employee wants to leave service instantaneously, he may be permitted to do so by depositing with the Institute pay and allowances for the period of notice, as the case may be.

(क) संस्थान के सभी कर्मचारी (सिवाय ग्रेड 'घ' कर्मचारियों के) 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे परंतु यदि शासी बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी के हिट में ऐसा करना अपेक्षित है तथा कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के उत्कृष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वह उक्त मामलों में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अनुदेश/आदेश के तहत केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा किसी भी अवधि के लिए जो कुल दो वर्ष से अधिक न हो, मौजूदा शर्तों पर या पुनर्नियोजन पर या संविदा सेवा पर अधिवर्षिता की आयु से आगे किसी भी कर्मचारी की सेवा अवधि बढ़ा सकता है। ग्रेड 'घ' के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(ख) विनियम (क) में दी गई किसी बात के होते हुए भी किसी कर्मचारी के उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अशक्त ठहराए जाने पर वह समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सदृश श्रेणियों पर लागू संगत नियमावली के अनुसार निर्धारित पूर्ण तथा स्थायी अशक्तता के कारण सेवा में नहीं बना रहेगा।

(vi) परिवीक्षा:

(1) प्रत्येक कर्मचारी किसी भी पद पर नियुक्ति होने पर (चाहे पदोन्नति पर या अन्यथा) नियमित नियुक्ति की तारीख से शुरू होकर एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) इस विनियम में कोई भी बात केंद्र/राज्य सरकारों या संस्थान द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

(vii) चिकित्सीय स्वस्थता

संस्थान में किसी भी पद पर पहली बार नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपेक्षित होगा कि पद पर ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी या संस्थान द्वारा यथाविहित प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट-5 में विहित फार्म में चिकित्सा स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा यदि;

(क) कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आया हो;

(ख) कर्मचारी कि पुनर्नियुक्ति हुई हो बशर्ते दो नियुक्तियों में व्यवधान __ माह से कम हो;

(ग) कर्मचारी को पहले से ही चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ पाया गया हो। चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाणपत्र संबन्धित कर्मचारी द्वारा उसकी अपनी लागत पर प्राप्त किया जाएगा। तथापि विधिमान्य रसीद प्रस्तुत करने पर उसे फीस की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(viii) सेवा – समाप्ति

(क) (i) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संस्थान द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियोजित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी प्रधान को संस्थान में अपनी सेवा छोड़ने या रोकने के अपने आशय का लिखित में एक माह का नोटिस दिए बिना संस्थान से अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा।

(ii) परंतु यह कि जहां कर्मचारी ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो तथा वह स्थायी हो गया हो तो उक्त नोटिस की अवधि तीन माह होगी।

(iii) तथापि, यदि कोई कर्मचारी तात्कालिक रूप से सेवा छोड़ना चाहता हो तो उसे संस्थान में नोटिस की अवधि में मिले वेतन तथा भत्ते जमा करके ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

- (iv) Provided that the appointing authority may, for the reasons to be recorded in writing, waive, either wholly or in part, the requirement as to payment of such compensation.
- (b) (i) The Institute may at any time and without assigning any reasons, terminate the services of any employee who has not completed his probation, after giving one month's notice in writing or a month's pay and allowances in lieu thereof.
- (ii) The Institute may at any time and without assigning any reason terminate the services of any employee who has completed period of probation and stands confirmed by giving him three months notice or pay and allowances thereof.
- (c) In case of Group ' C ' and Group 'D' employees the Principal shall be the competent authority while Executive Committee for Class 'B' posts and the above shall be the competent authority. However, the Executive Committee will exercise this power only after the Board of Governors has accorded its approval in this behalf.
- (d) Nothing contained in these Regulations shall affect the right of the appointing authority to retire, remove or dismiss an employee without giving any notice or pay in lieu of notice in accordance with the provisions of relevant rules concerning 'conduct and discipline' of employees.

CHAPTER – III

6. GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

In all matters relating to service conditions such as fixation of pay; increments; counting of service for increments; compulsory deductions; optional deductions grant of special pay; personal pay; honorarium and fee; Dearness Allowance; Additional Dearness; House Rent Allowance; Children Education Allowance, House Building Allowance; Festival Advance; Advances for purchase of Conveyances; Travel and Admissibility of Travel Allowance; Classification Control & appeal Rules; Conduct Rules; Contributions to Contributory Provident Fund; Joining Time; Leave Entitlements and conditions for grant of various kinds of leaves; Medical Rules; Gratuity and Terminal Benefits etc; the Central Government Rules on the subject, as applicable to comparable categories of Central Government Employees/servants, shall Mutatis Mutandis be applicable to the corresponding categories of the employees of the Society subject to any orders/ amendments/instructions issued by the Central Government on the relevant subject from time to time, except that where the Board of Governors, with the approval of the Central Government adopts a specific provision/rule in respect of any specific service matters, the employees of the Institute shall be subject to those provisions in respect of such specified matters.

Note : (i) The above list is only illustrative and not exhaustive. All matters which may not have been spelt out above shall also be regulated in the same manner as in the case of Central Government servants of corresponding categories.

- (iv) परंतु नियुक्ति प्राधिकारी लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से उक्त प्रतिकर का भुगतान करने की इस अपेक्षा से पूर्णतः या अंशतः छूट प्रदान कर सकता है।
- (ख) (i) संस्थान लिखित में एक माह का नोटिस देने या उसके बदले एक माह के वेतन तथा भत्ते देने के बाद किसी भी समय तथा कोई भी कारण दिये बिना, ऐसे किसी भी कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त कर सकता है जिसने अपनी परिवीक्षा पूरी न की हो।
- (ii) संस्थान तीन माह का नोटिस देकर या उसके बदले वेतन तथा भत्ते देकर किसी भी समय तथा कोई कारण दिए बिना ऐसे किसी भी कर्मचारी के सेवाएँ समाप्त कर सकता है जिसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो तथा जिसे स्थायी कर दिया गया हो।
- (ग) ग्रुप 'ग' तथा ग्रुप 'घ' कर्मचारियों के मामले में प्रधान सक्षम प्राधिकारी होगा जबकि श्रेणी 'ख' पदों तथा इससे ऊपर के पदों के लिए कार्यकारिणी सक्षम प्राधिकारी होगी। तथापि, कार्यकारिणी इस संबंध में शासी बोर्ड का अनुमोदन मिलने के बाद ही इस शक्ति का प्रयोग करेगी।
- (घ) इन विनियमों में दी गई कोई भी बात कर्मचारियों के 'आचरण और अनुशासन' से संबन्धित संगत नियमावली के उपबंधों के अनुसार कोई नोटिस या नोटिस के बदले वेतन दिए बिना किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त, हटाने या बर्खास्त करने के नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

अध्याय - III

6. सामान्य सेवा शर्तें

वेतन निर्धारण; वेतनवृद्धि; वेतनवृद्धि के लिए सेवा की गणना; अनिवार्य कटौतियाँ; वैकल्पिक कटौतियाँ; विशेष वेतन देना; वैयक्तिक वेतन; मानदेय और फीस; महंगाई भत्ता; अतिरिक्त महंगाई भत्ता; अन्तरिम राहत; छुट्टी यात्रा रियायत; प्रतिपूरक भत्ता; मकान किराया भत्ता; संतान शिक्षा भत्ता; गृह निर्माण भत्ता; त्योहार अग्रिम; वाहन खरीद अग्रिम, यात्रा और यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता; वर्गिकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली; आचरण नियमावली, अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान; कार्यभार ग्रहण अवधि; छुट्टी हकदारी; विभिन्न प्रकार की छुट्टी देने की शर्तें; चिकित्सा नियमावली; उपदान और सेवांत हितलाभ आदि जैसी सेवा की शर्तों से संबन्धित सभी मामलों में संबन्धित विषय पर केंद्र सरकार के नियम सोसाइटी के तदनु रूप श्रेणी के कर्मचारियों पर आवश्यकता परिवर्तनों सहित लागू होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार के समान श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होते हैं किन्तु ये नियम संगत विषय पर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों/संशोधनों/अनुदेशों के अध्याधीन होंगे, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासी बोर्ड किसी विशिष्ट सेवा मामले में किसी विशिष्ट उपबंध/नियम को न अपना लें। संस्थान के कर्मचारी ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में इन उपबंधों के अध्याधीन होंगे।

टिप्पणी : (i) उपर्युक्त सूची केवल निर्देशी है, सर्वांगपूर्ण नहीं। जिन मामलों का ऊपर उल्लेख नहीं किया जा सकता है वे सभी मामले भी उसी तरह विनियंत्रित होंगे जिस तरह केंद्र सरकार के तदनु रूप श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में होता है।

- (ii) Employees of the Institute shall be eligible to contribute to contributory Provident Fund under the terms and conditions as laid down in Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 as amended from time to time.

CHAPTER – IV

7. RESIDENTIAL ACCOMMODATION:

- (i) Out of the residential accommodation owned by the Society, the Society may at its discretion make available such residential accommodation as it considers appropriate to the pay, rank and status of the employee, and on such rate of monthly licence fee as it considers reasonable. The Society will not have any authority to hire accommodation and give it to staff members.
- (ii) In deciding the suitability of such residential accommodation to an employee's pay, rank and status as well as in determining the licence fees to be recovered from the employee for such accommodation, the Society will bear in mind the scales of accommodation and the rates of house rent in force under the Central Government Rules governing the allotment of residential accommodation to its employees, but the decision of the Society in regard to such questions shall be final.
- (iii) If an employee refuses to accept the residential accommodation made available by the Society and if the Society does not consider his reasons for doing so adequate and acceptable, the Society may stop the house rent allowance payable to him in terms of relevant rules.
- (iv) Accommodation of appropriate scale will be allotted to the employee strictly in accordance with the 'Rules' drawn up for allotment of such residential accommodation.

CHAPTER – V

General : Matters not covered by these Rules will be governed by Government of India's instructions in that behalf.

CHAPTER VI

The following powers will be exercised by the authorities given against each :-

Sl. No.	Nature of power	Extent of power	Authority competent to exercise it
1.	Matters regarding Medical Examination :	Full	Principal
	i) For appointment		
	ii) For grant of leave		
	iii) For any other purpose		
2.	<u>Probation period</u> :	Full	Appointing authority
	i) Initial probation		

- (ii) संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियमावली, 1962 में यथानिर्धारित शर्तों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए पत्र होंगे।

अध्याय – IV

7. आवास व्यवस्था :

- (i) सोसाइटी अपनी आवास व्यवस्था में से अपने निर्णय से कर्मचारी को उसके वेतन, रैंक और पद के अनुरूप आवास व्यवस्था, जो वह उपयुक्त समझे, ऐसी मासिक लाइसेंस फीस पर उपलब्ध करा सकती है जो वह उचित समझे। सोसाइटी को अपने स्टाफ के किसी भी सदस्यों के लिए आवास किराए लेने और उनको आवास किराए पर देने का प्राधिकार नहीं होगा।
- (ii) कर्मचारी के वेतन, रैंक और पद के अनुसार आवास व्यवस्था की उपयुक्तता का निर्धारण करने और कर्मचारी से ऐसे आवास के लिए वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस का निर्धारण करते समय सोसाइटी को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर आवास व्यवस्था के आबंटन के लिए लागू केंद्र सरकार के नियम के अधीन लग आवास के मापदंड और मकान किराया दरों को ध्यान में रखना होगा किन्तु इस संबंध में सोसाइटी का निर्णय अंतिम होगा।
- (iii) यदि कर्मचारी सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास व्यवस्था को स्वीकार करने से माना कर देता है और यदि सोसाइटी उसके ऐसा करने के कारण को उचित और स्वीकार्य नहीं मानती है तो सोसाइटी संगत नियमानुसार उसके देय मकान किराया भत्ता रोक सकती है।
- (iv) इस प्रकार आबंटन के लिए तैयार किए गए 'नियमों' के अनुसार ही कर्मचारी को उपयुक्त आवास आबंटित किया जाएगा।

अध्याय – V

सामान्य : उन मामलों पर जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, निर्दिष्ट भारत सरकार के अदेश लागू होंगे।

अध्याय – VI

निम्नलिखित शक्तियों का उसके सामने दिए गए प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाएगा:

क्रम सं.	शक्ति का स्वरूप	शक्ति की सीमा	इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
1.	चिकित्सा जांच से संबन्धित मामले	पूर्ण	प्रधान
	i) नियुक्ति के लिए		
	ii) छुट्टी देने के लिए		
	iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए		
2.	<u>परिवीक्षा अवधि</u>	पूर्ण	नियुक्ति प्राधिकारी
	i) प्रारम्भिक परिवीक्षा		
	ii) Extension of probation		

- iii) Completion of probation
3. Extension of Services :
- i) Beyond Superannuation/ and re-employment /contract employment Full Board of Governors subject to approval of the Central Government.
4. Appointments Group A Board of Governors
Group B Board of Governors
Group C and D Principal
5. Termination of services Group A Board of Governors
Group B Board of Governors
Group C and D Principal
6. Reduction in establishment Full Board of Governors
7. Disciplinary Authority Group C and D Principal
Group A and B Board of Governors/
Executive Committee
8. Pay Fixation Full Principal
9. E.B. crossing All Employees Principal
10. Grant of Spl/Advance increments - do - Appointing Authority
11. Allowances – Admissibility of decision regarding - do - Principal
12. Adoption of rate of pay and allowances - do - Board of Governors
13. Grant of Leave – all kinds - do - Principal
14. Detailing for duty during vacation - do - Principal
15. Accommodation - do - Principal
16. T.A./D.A. All employees Principal
17. Travel by Air - do - Executive Committee in the case of entitled officers and Board of Governors with approval of the Central Government in the case of non-entitled officer.
18. Gratuity and other retirement benefits - do - Appointing authority
19. Relaxation/ Interpretation of any rule - do - Board of Governors subject to approval of the Central Government.

ii)	परिवीक्षा का विस्तार		
iii)	परिवीक्षा अवधि की समाप्ति		
3.	<u>सेवा का विस्तार</u>		
i)	अधिवर्षिता के बाद/पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन	पूर्ण	केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासी बोर्ड
4.	<u>नियुक्तियाँ</u>	समूह क समूह ख समूह ग और घ	शासी बोर्ड शासी बोर्ड प्रधान
5.	सेवा-समाप्ति	समूह क समूह ख समूह ग और घ	शासी बोर्ड शासी बोर्ड प्रधान
6.	स्थापना में कमी	पूर्ण	शासी बोर्ड
7.	अनुशासनिक प्राधिकारी	समूह ग और घ	प्रधान
		समूह क और ख	शासी बोर्ड/कार्यकारिणी
8.	वेतन निर्धारण	पूर्ण	प्रधान
9.	दक्षतारोघ पर करना	सभी कर्मचारी	प्रधान
10.	<u>विशेष/अग्रिम/वेतनवृद्धि देना</u>	-वही-	नियुक्ति प्राधिकारी
11.	<u>निर्णय की स्वीकार्यता से संबन्धित भत्ते</u>	-वही-	प्रधान
12.	<u>वेतन और भत्तों की दर की स्वीकृति</u>	-वही-	शासी बोर्ड
13.	<u>सभी प्रकार की छुट्टी देना</u>	-वही-	प्रधान
14.	<u>छुट्टी के दौरान कार्य के लिए तैनात करना</u>		प्रधान
15.	<u>आवास</u>	-वही-	प्रधान
16.	<u>यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता</u>	सभी कर्मचारी	प्रधान
17.	<u>विमान से यात्रा</u>	-वही-	पत्र अधिकारियों के मामले में कार्यकारिणी और जो इसके लिए पत्र नहीं हैं, उनके मामले में केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासी बोर्ड।
18.	<u>उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ</u>	-वही-	नियुक्ति प्राधिकारी
19.	किसी नियम में ढील/उसकी व्याख्या	-वही-	केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासी बोर्ड

- Note:
- (i) In respect of any of the above matters concerning the Principal the decision will be taken at the level of the Board of Governors with the approval of the Central Government.
 - (ii) For effecting better day to day administration, Principal may delegate his powers to any authority subordinate to him.
 - (iii) Financial powers shall be exercised as per Bye-laws of the Society.

- टिप्पणी : (i) प्रधान से संबन्धित उपर्युक्त किसी भी मामले में निर्णय केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासी बोर्ड के स्तर पर लिया जाएगा।
- (ii) दिन-प्रतिदिन प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए प्रधान अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है।
- (iii) वित्तीय शक्तियों का सोसाइटी की उप-विधियों के अनुसार प्रयोग किया जाएगा।

Medical Certificate of Fitness for appointment

I, Dr. _____ hereby
certify that I have examined Shri/Smt/Kum. _____
_____ a candidate for employment in the Institute of Hotel
Management, Catering Technology & Applied Nutrition, _____
and cannot discover that Shri/Smt./Kum. _____
has any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness or bodily infirmity except

I do not consider this a disqualification for employment in the Institute of Hotel
Management, Catering Technology & Applied Nutrition, _____.
His/Her age according to his/her own statement is _____ years and by appearance
_____ years.

His/Her signature/Thumb impression are/is given below.

Dated the _____

Name and designation of the Doctor

नियुक्ति के लिए चिकित्सा स्वस्थता प्रमाणपत्र

मैं, डॉ० _____ एतद्वारा
यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____
_____, जो होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी
एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान, में नियोजन के लिए अभ्यर्थी है, की चिकित्सा जांच कर ली है और
श्री/श्रीमती/कुमारी _____ को
_____ के सिवाय किसी तरह
की कोई बीमारी (संक्रामक अथवा अन्यथा), शारीरिक कमजोरी अथवा शारीरिक अशक्तता नहीं है।

मैं इसे होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान में नियोजन के लिए अयोग्यता
नहीं मानता हूँ। उनके अनुसार उनकी आयु _____
वर्ष है और देखने में _____ वर्ष लगती है।

उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान नीचे दिए गए हैं।

तारीख _____

डॉक्टर का नाम और पदनाम

APPENDIX - II

(See Regulations 3)

Classification of Posts and scales of pay

Group	Name of post	No. of posts	Scale of pay
-------	--------------	--------------	--------------

(All the posts to be appropriately classified in Group 'A' , 'B', 'C' and 'Deposits and listed in this Appendix).

परिशिष्ट – II

(विनियम ३ देखें)

पद और वेतनमान का वर्गीकरण

समूह	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
------	-----------	----------------	---------

(सभी पदों को समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पदों में उचित प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा और इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया जाएगा)।